

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1289/2009/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत द्वितीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री सिलिका प्रोडक्ट प्रा0लि0,  
एफ 947-49, रोड नं0 14, वी.के.आई. एरिया, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित  
निर्णय दिनांक : 23/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 63/114/अपील्स-IV/99-00/जेपीई में पारित आदेश दिनांक 30.04.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.1999 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत कायम मांग राशियों को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में कुल बिक्री रूपये 10,96,47,799/-, एस.टी. 17 पर करमुक्त बिक्री रूपये 9,81,52,861/- एवं कन्साईन्मेंट सेल रूपये 1,14,94,938/- की बिक्री की। लेखा पुस्तकों की जांच के दौरान पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवधि में रूपये 18,59,047/- की अपंजीकृत व्यवसायों से खरीद की है जिस पर क्रय कर देय है जिसके संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को स्पष्टीकरण हेतु सूचना पत्र दिया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लिखित में जवाब पेश किया जिसे सशक्त अधिकारी ने संतोषजनक नहीं मानते हुए अतिरिक्त कर रूपये 3,18,950/-, क्रय कर रूपये 55,771/-, शास्ति रूपये 1,11,542/- एवं ब्याज रूपये 1,92,938/- आरोपित करते हुए वसूल योग्य राशि रूपये 6,79,201/- की मांग कायम की। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.04.2009 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि लेखा पुस्तकों की जांच के दौरान पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवधि में अपंजीकृत व्यवसायों से खरीद की है, जिस पर क्रय कर देय है। अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 की तीसरी शर्त में स्पष्ट है कि यदि क्रेता व्यवसायी एसटी 17 जारी करता तब ही उक्त व्यवसायी उक्त अधिसूचना में दर्शायी छूट का लाभ ले सकता है। परन्तु व्यवसायी द्वारा उक्त क्रय अपंजीकृत व्यवसायों से की गयी है। जिस पर एसटी 17 जारी नहीं किया

जा सकता है। अधिसूचना में दी गई छूट इन्ही शर्तों पर दी जाती सकती है, अन्यथा नहीं। अधिसूचना की भी इस तृतीय शर्त से मात्र पंजीकृत व्यवसायों से किये जाने वाले व्यापार पर ही लाभ देने की मंशा जाहिर होती है। अतः एसटी 17 घोषणा पत्र जारी करने की शर्त रखी गयी है। इस शर्त की अवहेलना करने पर अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 में वर्णित छूट देय नहीं है। अतः सशक्त अधिकारी ने उचित रूप से मांग राशियों का आरोपण किया गया था। जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरुद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। लेखा पुस्तकों की जांच के दौरान पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवधि में अपंजीकृत व्यवसायों से खरीद की है, जिस पर क्य कर देय है। अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 की तीसरी शर्त में स्पष्ट है कि यदि क्रेता व्यवसायी एसटी 17 जारी करता तब ही उक्त व्यवसायी उक्त अधिसूचना में दर्शायी छूट का लाभ ले सकता है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 15 के तहत अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफडी/टैक्स-डिवी/97-109 दि. 12.03.1997 के द्वारा उत्पादनकर्ता निम्नांकित शर्तों के अनुसार आयरन स्टील के कच्चे माल के रूप में खरीद कर सकता है :

1. That such iron and steel is used as raw material in the manufacture of iron and steel as specified in S.14(iv), CST Act, 1956;
2. That such manufactured product is sold within the State or in the course of inter-State trade or commerce; and
3. That such manufacturer shall issue a declaration to this effect in Form ST 17 appended to the Rajasthan Sales Tax Rules, 1995, to the selling dealer:

परन्तु व्यवसायी द्वारा उक्त क्य अपंजीकृत व्यवसायों से की गयी है। जिस पर एसटी 17 जारी नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना में दी गई छूट इन्ही शर्तों पर दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। अधिसूचना की भी इस तृतीय शर्त से मात्र पंजीकृत व्यवसायों से किये जाने वाले व्यापार पर ही लाभ देने की मंशा जाहिर होती है। अतः एसटी 17 घोषणा पत्र जारी करने की शर्त रखी गयी है। इस शर्त की अवहेलना करने पर अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 में वर्णित छूट देय नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में कुल अपंजीकृत खरीद पर 3 प्रतिशत की दर से क्य कर व उस पर धारा 58 के तहत ब्याज का आरोपण किया गया है वह उचित प्रतीत होता है अतः उन्हें बहाल किया जाता है। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत क्य कर के आरोपण के प्रावधान है। धारा 11(1) में स्पष्ट प्रावधान है :-

"11. Levy of purchase tax -(1) Every dealer who in the course of his business purchases any goods other than exempted goods, in the circumstances in which no tax under sections 4 and 12 is payable on the sale price of such goods, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the same rate at which it would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12."

अतः आरोपित क्य कर व ब्याज कायम रखा जाता है।

शास्ति के बिन्दु पर विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है। क्योंकि समस्त संव्यवहार व्यवसायी की नियमित बहियात में दर्ज है।

अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील कर व ब्याज को पुनः बहाल करते हुए स्वीकार की जाती है एवं शास्ति के बिन्दु अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य